न्यायालय, जिलादण्डाधिकारी, ख...

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–03 / 16–17

राज्य बनाम धारो यादव एवं अन्य

आदेश की क्रम स0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 3.
~~16.05.2017~~ 13.6.17	(नीचे देखें)	

आदेश

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 अंतर्गत प्रश्नगत अधिहरण वाद खगड़िया थाना कांड संख्या–50 / 2017, दिनांक–29.01.2017 से उद्भूत है तथा पु.अ.नि., खगड़िया थाना द्वारा समर्पित तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रस्ताव के साथ संदर्भित प्राथमिकी एवं तलाशी–सह–सप्ती सूची की छायाप्रति संलग्न है।

पु.अ.नि., खगड़िया द्वारा अधिहरण हेतु प्रस्ताव में अंकित है कि दिनांक–29.01.2017 को सफारी गाड़ी संख्या–BR01PB-9960 पर लदा हुआ 253 बोतल शराब बरामद किया गया है। तत्पश्चात् संदर्भित प्राथमिकी दर्ज की गई। जप्त सफारी गाड़ी सुरक्षार्थ थाना परिसर में रखा गया है, जो नष्ट हो रहा है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–590, दिनांक–21.02.2017 में भी उक्त सफारी गाड़ी से 253 बोतल विदेशी शराब बरामद किये जाने का उल्लेख है।

प्रासंगिक तालाशी–सह–जप्ती सूची की कंडिका– 4 में भी अंकित है कि उजले रंग की सफारी डाईकोर गाड़ी नं0–BR01PB-9960 में रखा हुआ 375ml का Royal Stag Whisky विदेशी शराब 7 कार्टून में रखा हुआ एवं 165 बोतल तथा 180 ml का 88 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है।

जप्ती सूची पर दो गवाहाण यथा बमबम कुमार एवं टुन्ती कुमार का हस्ताक्षर है, जिनके विषय में प्राथमिकी में उल्लेख है कि घटनास्थल पर पुलिस की गतिविधि को देखकर उक्त दोनों गवाहाण सहित कुछ लोग इकट्ठा हो गये थे।

पु.अ.नि., सुनील कुमार द्वारा पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, खगड़िया को सम्बोधित प्रतिवेदन, जिसपर प्राथमिकी संख्या–50 / 2017, दिनांक–29.01.2017 दर्ज की गई है, में उल्लेख है कि एक गुप्तचर द्वारा गुप्त सूचना दी गई थी कि धारो यादव, पिता–सियाराम यादव, ग्राम–रघुनाथपुर, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय और उसका भगना–गुलशन कुमार, जिला–सहरसा तथा सोनू कुमार, ग्राम–बौंसी, जिला–बांका संबंधित वाहन सफारी डाईकोर से झारखंड से शराब लाकर बेचते हैं तथा इसी क्रम में जप्त गाड़ी से बरामद विदेशी शराब के आधार पर

तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पु.अ.नि., किशोर कुमार वर्मा के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के अधिहरण हेतु प्रस्ताव के आधार पर धारो यादव, पिता–सियाराम यादव, को नोटिस निर्गत कर दिनांक– 09.03.2017 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। दिनांक–24.04.2017 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार–पत्र के संस्करण में विज्ञापन प्रकाशित कराकर धारा यादव को दिनांक–11.04 2017 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई की तिथि की सूचना संसूचन के सभी संभव माध्यम के उपयोग के पश्चात् भी विपक्षी धारो यादव के उपस्थित नहीं होने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया में व्यावधान उत्पन्न किया जा रहा है तथा वे न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा 58(2) अंतर्गत प्रश्नगत वाहन को अधिहरण योग्य बताया है उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह भी स्पष्ट है कि गाड़ी का उपयोग शराब के कारोबार हेतु किया गया है, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत निरिद्ध है। विपक्षी जान–बूझाकर कर वाद की सुनवाई के प्रक्रम में शामिल नहीं हुए हैं।

इस प्रकार प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है तथ इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जान–बूझकर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

इस प्रकार सुनवाई के क्रम में बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि वर्णित वाहन सफारी डाईकोर गाड़ी नं0– BR01PB-9960 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन सफारी डाईकोर गाड़ी नं0– BR01PB-9960 जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश ... कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	किसी भी ऋण भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय। 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगडिया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में जप्त वाहन सफारी डाईकोर गाड़ी नं0– BR01PB-9960 को मोटरयान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे। 3. सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया समाहर्त्ता खगड़िया।	